Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 107/2015
Kameshwar Paswan .....Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors ..... Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0-09/2014-15 में दिनांक-20.03.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अररिया जिला के भरगामा अंचल में जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अनुज्ञप्ति सं0-8-BH/94 को वैध धारक रहते हुए वर्ष 1994 से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी निष्ठा और इमानदारी से करते रहे। अब तक इनके खिलाफ किसी भी उपभोक्ता या पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का शिकायत नहीं दर्ज किया गया। कुछ लोगों के साजिश एवं मिली भगत से कुछ उपभोक्ताओं द्वारा इनके खिलाफ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष अनियमितता का शिकायत दर्ज किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल करते हुए अंचल अधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष पत्रांक-59, दिनांक-04.06.2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। लगाये गये आरोप में प्रमुख रूप से लगभग एक महीना में दुकान बंद रखना उपभोक्ता को बिना अनाज के ही वापस भेज देना उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार करना, मई 2014 से वार्ड नं0-08 और 09 में किरोसीन तेल का वितरण नहीं करना, उपभोक्ताओं से बल पूर्वक कूपन प्राप्त कर लेना इत्यादि। उक्त आरोप के विरूद्ध अंचल अधिकारी, फारबिसगंज द्वारा पत्रांक-87 दिनांक-18.06.2014 द्वारा आवेदक से कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। आवेदक द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष सभी आरोपों को खंडित करते हुए दिनांक- 08.07.2014 को कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने अंकित किया कि वे उस माह अपनी पुत्री के शादी में कुछ दिन व्यस्त रहे, परन्तु शादी से पहले सभी उपभोक्ताओं को कूपन के अनुसार किरासन तेल का वितरण	

Web Copy Not Official

		कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, क्रमशः	
	लगातार 16.06.2023	फारबिसगंज द्वारा आवेदक के समर्पित जबाव से असंतुष्ट होकर ज्ञापांक इनके अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक–741/आ0, दिनांक–07.08.2014 द्वारा रद्द कर दिया गया। इससे व्यथित होकर आवेदक द्वारा विद्वान जिला समाहर्त्ता के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0–09/2014–15 दायर किया गया। जिसे विद्वान समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–20.03.2015 को आदेश पारित करते हुए अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार आवेदक द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन समर्पित किया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर विचार किये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया गया। जिला समाहर्त्ता, अररिया द्वारा आदेश पारित करने में इन तथ्यों को विचार करने में असमर्थ रहे कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भरगामा द्वारा जब स्थलीय जाँच किया गया उस समय अनुज्ञप्तिधारी उपस्थित नहीं थे और न ही आवेदन को जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराया गया। आवेदक को अपने तथ्य को रखने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित कागजात को ही आधार बनाते हुए इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। इतने लंबे अवधि तक आवेदक द्वारा निष्ठापूर्वक जन वितरण की दुकान का संचालन किया गया। परन्तु कभी भी किसी उपभोक्ता के द्वारा शिकायत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिसे पदाधिकारी द्वारा नजरअंजाद नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक अपनी पुत्री की शादी में व्यस्त रहने के कारण कुछ दिनों तक दुकान को पूर्ण अवधि तक खुला नहीं रख पाया, परन्तु इस मामूली घटना को तुल देकर इतना सारा आरोप लगा देना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। आवेदक द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार नहीं किया गया है। जिसे उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भरगामा के समक्ष समर्पित शपथ पत्र में भी दर्शाया है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को खंडित करते हुए	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 16.06.2023	इनके पक्ष में आपूर्ति पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति बहाल करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में क्रमशः संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदक पर लगाये गये आरोप की जाँच करायी गयी, जाँच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्त्ता द्वारा शपथपत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया कि उन्होंने अनुज्ञप्तिधारी कामेश्वर पासवान के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं किया था, बल्कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने द्वारा जाँच की पुष्टि हेतु उनलोगों का छाप/ह0 लिया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों का पुनः जाँच कर पुष्टि कर लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। उनके द्वारा आवेदक को जाँच प्रतिवेदन न तो उपलब्ध कराया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर ही प्रदान किया गया। साथ ही उनके स्पष्टीकरण पर पूर्ण विचार किये बिना ही अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। यह भी तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध स्टॉक एवं कूपन में अनियमितता प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय को खंडित करते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आवेदक श्री कामेश्वर पासवान को संबंधित पंचायत के लिए अनुज्ञप्ति सं0-8-BH/94 को पुनर्बहाल करना सुनिश्चित किया जाय। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.